कार्यालय मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर-३०२०१७, राजस्थान)

क्रमांक :– एफ.31( )मु.स्वा.अधि. / ननिज / 2019 / 489 दिनांक :– 23/9/19

श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय,
नगर निगम, जयपुर।

विषयः– राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत समाचार पत्र मे प्रकाशित समाचार ''4500 होटल–रेस्टोरेन्ट, लाईसेंस के संबंध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित समाचार ''4500 होटल–रेस्टोरेन्ट, लाईसेंस के संबंध मे वस्तुस्थिति रिपोर्ट निम्न प्रकार हैः–

समाचार पत्र मे प्रकाशित रिपोर्ट मे जयपुर शहर में 4500 होटल, रेस्टोरेन्ट इत्यादि संचालित होना बताया गया है, जबकि इसकी कोई सर्वे सूची मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नही है। नगर निगम, जयपुर द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 1680 दिनांक 31.01.2017 के द्वारा जयपुर शहर में स्थित होटल, रेस्टोरेन्ट इत्यादि को लाईसेंस जारी किये जाते है। वर्ष 2019–20 के लिए वैद्य लाईसेंसों की संख्या 886 है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 1680 दिनांक 31.01.2017 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार '' आवासीय भवनो मे किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के लिए कोई नया लाईसेंस नही दिया जावेगा, परन्तु जिन भवनो मे पूर्व से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने से लाईसेंस दिये हुए है, उनका ही केवल नवीनीकरण किया जा सकेंगा''।

इस प्रकार राज्य सरकार के आदेशानुसार आवासीय क्षेत्रों / परिसरो मे होटल रेस्टोरेन्ट इत्यादि के संचालन के लिए लाईसेंस जारी नही किया जाता है।

वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत है।

(डॉ. राजेन्द्र कुमार गर्ग)
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

D/Dr.Garg file/All Letter